

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- हंसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :- 08/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र सोनाराम जाति राईका निवासी गांव मोगड़ा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर		1. पुष्पा पत्नी तुलसीराम जाति घांची निवासी कबूतरों का चौक जोधपुर। 2. मंजू पत्नि सत्यनारायण जाति घांची भगत की कोठी जोधपुर 3. संगीता पत्नी गिरधारीलाल जाति घांची भगत की कोठी जोधपुर। 4. सरस्वती पत्नी मुलचन्द हिस्सा जाति घांची भगत की कोठी जोधपुर 5. सुशीला पत्नी शिवलाल जाति घांची निवासी बासनी जोधपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी। 7. पटवारी, पटवार क्षेत्र मोगड़ा कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक : - 13-1-2026

—: आदेश:—

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया जिनमें प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.03.2012 को जारी किया गया। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री वर्तमान पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 06.01.2026 को पेश किया।

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदार की कृषि भूमि ख.न. 172 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा ग्राम मोगड़ा खुर्द तहसील लूणी में भूमि आई हुई है। वादी द्वारा वाद पेश कर उक्त विवादग्रस्त भूमि का अपने हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया है। वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.03.2012 के द्वारा तहसीलदार लूणी को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 06.01.2026 मय मौका फर्द दिनांक 15.12.2025 को पेश की गई जिसके आधार पर वर्तमान खातेदारों के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है -

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा बीघा मे	लगान	किस्म
A	पुष्पा पत्नी तुलसीराम हिस्सा 415/2905 जाति घांची सा. कबूतरों का चौक जोधपुर खातेदार मंजू पत्नि सत्यनारायण हिस्सा 415/2905 जाति घांची सा. भगत की कोठी जोधपुर खातेदार संगीता पत्नी गिरधारीलाल हिस्सा 830/2905 जाति घांची सा.भगत की कोठी जोधपुर खातेदार सरस्वती पत्नी मुलचन्द हिस्सा 415/2905 जाति घांची सा.भगत की कोठी जोधपुर खातेदार सुशीला पत्नी शिवलाल हिस्सा 830/2905 जाति घांची सा. निवासी बासनी जोधपुर खातेदार।	172A	1.1756	4.35	बारानी प्रथम
	योग	172A	1.1756	4.35	बारानी प्रथम
B	कानाराम पुत्र सोनाराम हिस्सा-1 जाति राईका सा. देहखातेदार जला जोधपुर	172B	0.1680	0.62	बारानी प्रथम
	योग	172B	0.1680	0.62	बारानी प्रथम

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 15.12.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 15.12.2025 डिकी का अभिन्न अंग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

(हंसमुख कुमार RAS)

सहायक मजिस्ट्रेट एवं उपप्रभु अधिकारी लूणी